

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 389/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

आई सी आई सी आई बैंक लि. तृतीय तल, जे. एस. ई. एल. विल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स हरिहर फूट भण्डार प्रो. श्री कालूराम सैनी
एबी-1, सब्जी मण्डी, एन एच 08, कोटपूतली जयपुर ।
2. कालूराम सैनी
3. श्री बलदेव सैनी
4. श्री लक्ष्मीचन्द सैनी
5. श्री प्रसादी लाल सैनी
6. श्री पांचूराम सैनी
खसरा नं. 924/1, ढाणी फौजावाली, वार्ड नं. 01, ग्राम बासडी, तहसील कोटपूतली, जिला
जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
Interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश


दिनांक 28.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.09.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी (1) श्री प्रसादी लाल सैनी पुत्र श्री बूलाराम सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 924, ढाणी फौजावाली वार्ड नं. 1, ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 1073.72 वर्गगज (2) मैसर्स हरिहर फूट भण्डार जरिये प्रोपराईटर श्री कालू राम सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति दुकान नम्बर एबी-01, फूट एवं सब्जी मण्डी यार्ड कोटपूतली जयपुर क्षेत्रफल 40.23 वर्गगज (3) श्री लक्ष्मीचन्द सैनी पुत्र श्री प्रसादी लाल सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 924/1, ढाणी फौजावाली वार्ड नं. 1 ग्राम बावडी तहसील कोटपूतली जयपुर क्षेत्रफल 249.52 वर्गगज है (4) श्री बलदेव सैनी पुत्र श्री प्रसादी लाल सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 924/1, ढाणी फौजावाली वार्ड नं. 1 ग्राम बावडी तहसील कोटपूतली जयपुर क्षेत्रफल 232.47 वर्गगज है (5) पांचूराम सैनी पुत्र श्री

तस्मात्
जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

प्रसादी लाल सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 924/1, ढाणी फौजावाली वार्ड नं. 1 ग्राम बावडी तहसील कोटपूतली जयपुर क्षेत्रफल 252.5 वर्गगज है एवं (6) कालूराम सैनी पुत्र. श्री प्रसादी लाल सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 924/1, ढाणी फौजावाली वार्ड नं. 1 ग्राम बावडी तहसील कोटपूतली जयपुर क्षेत्रफल 222.29 वर्गगज है, को बन्धक रखकर कुल राशि 1,34,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.08.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में 13(2) के नोटिस का दिनांक 08.10.2020 को प्रकाशन कराया गया है। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 1,34,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 1,41,75,379/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.08.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र रवीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में (1) श्री प्रसादी लाल सैनी पुत्र श्री वूलाराम सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 924, ढाणी फौजावाली वार्ड नं. 1, ग्राम बावडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 1073.72 वर्गगज (2) मैसर्स हरिहर फूट भण्डार जरिये प्रोपराईटर श्री कालू राम सैनी के स्वामित्व की दुकान नम्बर एवी-01, फूट एवं सब्जी मण्डी यार्ड कोटपूतली जयपुर क्षेत्रफल 40.23 वर्गगज (3) श्री लक्ष्मीचन्द सैनी पुत्र श्री प्रसादी लाल सैनी के स्वामित्व की खसरा नम्बर 924/1, ढाणी फौजावाली वार्ड नं. 1 ग्राम बावडी तहसील कोटपूतली जयपुर



1 मजिस्ट्रेट
क्टर) जयपुर

क्षेत्रफल 249.52 वर्गगज है (4) श्री बलदेव सैनी पुत्र श्री प्रसादी लाल सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 924/1, ढाणी फौजावाली वार्ड नं. 1 ग्राम बावडी तहसील कोटपूतली जयपुर क्षेत्रफल 232.47 वर्गगज है (5) श्री पांचूराम सैनी पुत्र श्री प्रसादी लाल सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 924/1, ढाणी फौजावाली वार्ड नं. 1 ग्राम बावडी तहसील कोटपूतली जयपुर क्षेत्रफल 252.5 वर्गगज है (6) श्री कालूराम सैनी पुत्र श्री प्रसादी लाल सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 924/1, ढाणी फौजावाली वार्ड नं. 1 ग्राम बावडी तहसील कोटपूतली जयपुर क्षेत्रफल 222.29 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्यन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 28.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



28/1/21
(अन्तर सिंह नेहवा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर